

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली

ट्रांजिट कैम्पस : लखनऊ

स्वतः सूचना प्रकटीकरण /आर.टी.आई. नियमावली

(29.08.2024 तक अद्यतित)

परिचय:

प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने और नागरिकों को प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए, भारत सरकार ने एक अधिनियम, अर्थात्, "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" (आर.टी.आई. अधिनियम) लाया है, जो 15.6.2005 को लागू हुआ। इस अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, रायबरेली(नाईपर-आर) ट्रांजिट कैम्पस, लखनऊ के हितधारकों और आम जनता की जानकारी और मार्गदर्शन के लिए यह पुस्तिका प्रकाशित की गई है।

इस पुस्तिका का उद्देश्य आम जनता को नाईपर-आर लखनऊ के संगठनात्मक ढांचे, इसके कार्यों और कर्तव्यों, नाईपर-आर लखनऊ में उपलब्ध अभिलेखों और दस्तावेजों आदि के बारे में जानकारी देना है। यह पुस्तिका आम जनता और नाईपर-आर लखनऊ द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं और योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के उपयोगकर्ताओं के लिए है।

नाईपर-आर लखनऊ की वेबसाइट (<https://www.niperraebareli.edu.in/>), जिसका यह पुस्तिका एक हिस्सा है, नाईपर-रायबरेली की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में आम जनता को जानकारी प्रदान करता है। इसके अलावा, संस्थान की गतिविधियों के बारे में जानकारी इसकी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2022-23 के लिए यह दस्तावेज़ इस वेबसाइट के हिस्से के रूप में आम जनता के लिए उपलब्ध है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना संख्या 34012/8(एस)/2005-स्था.(बी) दिनांक 16 सितंबर 2005 के अनुसार, इस पुस्तिका में उपलब्ध न होने वाली जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया और शुल्क संरचना निम्नानुसार होगी:

- (क) आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध संबंधित सी.पी.आई.ओ. को व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा किया जाएगा, जिसके साथ 10 रुपए का आवेदन शुल्क नकद उचित रसीद के आधार पर या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक जो कि नाईपर रायबरेली के नाम से लखनऊ में देय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ख) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध उपर्युक्त (क) के अनुसार किया जाएगा और शुल्क उचित रसीद के आधार पर नकद या नाईपर-रायबरेली को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या पोस्टल ऑर्डर द्वारा लखनऊ में निम्नलिखित दरों पर लिया जाएगा
- (क)निर्मित या प्रतिलिपि किये गये प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के कागज़ में) के लिए दो रुपये;

(ख) बड़े आकार के कागज़ में एक प्रति का वास्तविक प्रभार या लागत मूल्य;

(ग) नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या मूल्य; तथा

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रथम घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा; तथा उसके बाद प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके अंश) के लिए पांच रुपये का शुल्क लगेगा।

(ग) आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध उपर्युक्त (क) के अनुसार किया जाएगा और शुल्क उचित रसीद के आधार पर नकद या नाईपर रायबरेली के नाम से लखनऊ में देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से निम्नलिखित दरों पर लिया जाएगा:

(क) डिस्कट या फ्लॉपी में दी गई सूचना के लिए, रु. 50/- (पचास) प्रति डिस्कट या फ्लॉपी की दर से; तथा

(ख) ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर मुद्रित रूप में उपलब्ध कराई गई सूचना के लिए अथवा प्रकाशन से अंशों की फोटोकॉपी के लिए 2 (दो) रुपये प्रति पृष्ठ।

आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के तहत सूचना के लिए आवेदन प्रारूप

क्रमांक।	प्रकटीकरण का विवरण	संगठन की जानकारी
1	संगठन और कार्य	
1.1	इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण [धारा 4(1)(बी)(i)]	
1.1.1	संगठन का नाम और पता	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (नाईपर), रायबरेली, ट्रांजिट कैम्पस: बिजनौर-सिसेंडी रोड, सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, सरोजिनी नगर, लखनऊ https://www.niperraebareli.edu.in नाईपर रायबरेली वर्ष 2008 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है, जो भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत देश भर के 7 नाईपर में सबसे नवीन नाईपर है।
1.1.2	संगठन का प्रमुख	प्रोफेसर शुभिनी ए सराफ, निदेशक https://niperraebareli.edu.in/DM.html
1.1.3	विजन, मिशन और प्रमुख उद्देश्य	दृष्टि: औषधि विज्ञान में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान के रूप में कार्य करना। उद्देश्य: संस्थान के मुख्य उद्देश्य हैं: <ul style="list-style-type: none">• रचनात्मकता, प्रेरणा, उत्साह में वृद्धि और व्यावसायिकता का विकास।

		<ul style="list-style-type: none"> • ऐसे वातावरण के लिए प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से शैक्षणिक, अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी और उद्योग के बीच तालमेल लाना। • फार्मसी, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी के बीच सहयोग को बढ़ाना तथा वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना। • फार्मास्युटिकल उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप पेशवरों को तैयार करना। • छात्रों और विद्वानों को उच्च तकनीकी क्षेत्रों जैसे कि औषधि डिजाइन और आणविक मॉडलिंग, फार्माकोजेनोमिक्स, टॉक्सिको जीनोमिक्स, जैव सूचना विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान और प्राकृतिक उत्पाद अनुसंधान आदि से परिचित कराना। 																		
1.1.4	कार्य और कर्तव्य	जैसा कि नाईपर अधिनियम और कानून में परिभाषित किया गया है (https://niperrabareli.edu.in/niperact.html)																		
1.1.5	संगठन चार्ट	यह नाईपर रायबरेली वेबसाइट पर उपलब्ध है https://niperrabareli.edu.in/images/RTI/Organogram_NIPERR.png																		
1.1.6	अन्य विवरण - विभाग की उत्पत्ति, स्थापना, गठन तथा समय-समय पर विभागाध्यक्षों के साथ-साथ समय-समय पर गठित समितियों/आयोगों के बारे में भी बताया गया है।	<p>संस्थान की उत्पत्ति, स्थापना, गठन का विवरण ऊपर 1.1.1 में दिया गया है (https://www.niperrabareli.edu.in).</p> <p>संस्थान में अनुसंधान और शिक्षण से संबंधित पाँच विभाग हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. औषधीय रसायन शास्त्र 2. औषध बनाने की विद्या 3. औषध विज्ञान और विष विज्ञान 4. विनियामक विष विज्ञान 5. जैव प्रौद्योगिकी <p>स्थापना के बाद से नाईपर-आरके विभागाध्यक्ष का नाम:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. सं.</th> <th>नाम</th> <th>विभाग का नाम</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>डॉ. संदीप चौधरी</td> <td>औषधीय रसायन शास्त्र</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>डॉ. संजय तिवारी</td> <td>औषध बनाने की विद्या</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>डॉ. राकेश कुमार</td> <td>औषध विज्ञान और विष विज्ञान</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>डॉ. रविन्द्र के. कौंडल</td> <td>विनियामक विष विज्ञान</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>डॉ. निधि श्रीवास्तव</td> <td>जैव प्रौद्योगिकी</td> </tr> </tbody> </table>	क्र. सं.	नाम	विभाग का नाम	1.	डॉ. संदीप चौधरी	औषधीय रसायन शास्त्र	2.	डॉ. संजय तिवारी	औषध बनाने की विद्या	3.	डॉ. राकेश कुमार	औषध विज्ञान और विष विज्ञान	4.	डॉ. रविन्द्र के. कौंडल	विनियामक विष विज्ञान	5.	डॉ. निधि श्रीवास्तव	जैव प्रौद्योगिकी
क्र. सं.	नाम	विभाग का नाम																		
1.	डॉ. संदीप चौधरी	औषधीय रसायन शास्त्र																		
2.	डॉ. संजय तिवारी	औषध बनाने की विद्या																		
3.	डॉ. राकेश कुमार	औषध विज्ञान और विष विज्ञान																		
4.	डॉ. रविन्द्र के. कौंडल	विनियामक विष विज्ञान																		
5.	डॉ. निधि श्रीवास्तव	जैव प्रौद्योगिकी																		
1.2	इसके अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य [धारा 4(1)(बी)(ii)]																			
1.2.1	अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक)	<p>अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य:</p> <p>शक्तियां एवं कर्तव्य नाईपर अधिनियम एवं विधियों में परिभाषित हैं (https://niperrabareli.edu.in/DOC/RTI/statutes_power.pdf)</p>																		

1.2.2	अन्य कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	
1.2.3	नियम/आदेश जिसके तहत शक्तियां और कर्तव्य प्राप्त होते हैं और	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर) के अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य संस्थान के नाईपर अधिनियम और विधियों में निहित अनुदेशों के अनुसार प्राप्त, प्रयोग, आवंटित और शासित होते हैं। कार्य: https://niperraebareli.edu.in/niperact/niper_act.pdf क़ानून: https://niperraebareli.edu.in/niperact/statutes.pdf अधिनियम एवं संविधि संशोधन: https://niperraebareli.edu.in/niperact.html भर्ती नियम एवं विनियमन: https://niperraebareli.edu.in/niperact/Govt%20letter%20for%20Recruitment%20Rules%20and%20Regulation.pdf स्वीकृत पद: https://niperraebareli.edu.in/niperact/Sanction%20Post%20for%20NIPER-R.pdf
1.2.4	प्रयोग	शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग किया जाता है, तथा कार्य का आवंटन ऊपर
1.2.5	कार्य आवंटन	1.2.1 और 1.2.2 के तहत दिए गए विवरण के अनुसार किया जाता है।
1.3	निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया [धारा 4(1)(बी)(iii)]	
1.3.1	निर्णय लेने की प्रक्रिया: प्रमुख निर्णय बिंदुओं की पहचान करें	कर्तव्यों के निर्वहन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में, किसी गतिविधि, योजना या कार्यक्रम से संबंधित पदानुक्रम का पालन किया जाता है और विचाराधीन मुद्दे के आधार पर शैक्षणिक मामलों के लिए विभागाध्यक्ष (एचओडी)/ डीन और प्रशासनिक मामलों के लिए रजिस्ट्रार के स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं और अंतिम अनुमोदन संस्थान के निदेशक और/या बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर) अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया और कार्यों के निर्वहन को सुविधाजनक बनाने के लिए, संस्थान स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है। https://niperraebareli.edu.in/committees.html
1.3.2	अंतिम निर्णय लेने वाला प्राधिकारी	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर) के निदेशक/अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स
1.3.3	संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि।	यह यहां उपलब्ध है (https://niperraebareli.edu.in/niperact/niper_act.pdf)
1.3.4	निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो	इस प्रकार चार्टर में निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। हालाँकि, संस्थान में कोई भी निर्णय लेने की समय सीमा कार्य/कार्य/शिकायत की प्रकृति के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की

		जाती है। विभिन्न विभागों से प्राप्त नियमित पत्राचार आदि समयबद्ध प्रकृति के होते हैं और संस्थान द्वारा दिए गए समय सीमा के भीतर उनका निपटारा किया जाता है।
1.3.5	पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल	(1) पर्यवेक्षण का चैनल राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर) की संगठनात्मक संरचना के अनुसार है। (2) प्रत्येक कर्मचारी समय-समय पर प्राधिकारियों द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह होता है।
1.4	कार्यों के निर्वहन के मानदंड [धारा 4(1)(बी)(iv)]	
1.4.1	प्रदान किये जाने वाले कार्यों/सेवाओं की प्रकृति	प्रस्तावित कार्यों/सेवाओं की प्रकृति नीचे दी गई है: (अधिनियम एवं कानून: https://niperraebareli.edu.in/niperact.html) नाईपर-आर फार्मास्युटिकल साइंसेज से संबंधित निम्नलिखित पाठ्यक्रम संचालित करता है: <ol style="list-style-type: none"> 1. एमएस (फार्मा.) 2. पीएचडी नाईपर रायबरेली के मुख्य फोकस क्षेत्र हैं: <ul style="list-style-type: none"> • शिक्षण • अनुसंधान • कंसल्टेंसी विस्तृत जानकारी के लिए कृपया यहां जाएं: (https://niperraebareli.edu.in/courses.html) (https://niperraebareli.edu.in/testfacility.html)
1.4.2	कार्यों/सेवा वितरण के लिए मानदंड/मानक	समय-समय पर संशोधित नाईपर अधिनियम/संविधि/अध्यादेश के अनुसार ये उपलब्ध हैं: https://niperraebareli.edu.in/niperact.html
1.4.3	वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुँच प्राप्त की जा सकती है	छात्र और अन्य लाभार्थी राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर) से संपर्क करके इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त की जा सकती है: http://cifniperr.org/indexlogin.php
1.4.4	लक्ष्य प्राप्ति हेतु समय-सीमा	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर) द्वारा प्रत्येक वर्ष शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। शैक्षणिक कैलेंडर संलग्न है: https://niperraebareli.edu.in/academiccalendar.html

1.4.5	शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया	शिकायतों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निवारण किया जाता है। सभी पीड़ित छात्र, कर्मचारी, संकाय और अन्य लोग संस्थान की शिकायत निवारण समिति और अन्यथा CPGRAMS के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। https://pgportal.gov.in/
1.5	कार्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश पुस्तिका एवं अभिलेख [धारा 4(1)(बी)(वी)]	
1.5.1	रिकार्ड/मैनुअल/निर्देश का शीर्षक और प्रकृति।	अपने कार्यों के निर्वहन के लिए, संस्थान "अधिनियम, कानून और अध्यादेशों और विभिन्न सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करता है जो संस्थान की वेबसाइट और डीओपीटी, डीओई आदि वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं, नीचे दिए गए लिंक पर:
1.5.2	नियमों, विनियमों, निर्देश पुस्तिकाओं और अभिलेखों की सूची।	https://niperraebareli.edu.in/niperact.html
1.5.3	अधिनियम/नियम पुस्तिका आदि।	https://niperraebareli.edu.in/niperact/statutes.pdf https://doe.gov.in/files/circulars_document/FInal_GFR_upto_31_07_2024.pdf
1.5.4	स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश	चूंकि राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर) एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए किसी भी शिक्षण/गैर-शिक्षण कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया गया है। हालांकि, आवश्यकता और आवश्यकता के अनुसार आंतरिक स्थानांतरण किए जाते हैं।
1.6	प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ [धारा 4(1)(बी)(vi)]	
1.6.1	दस्तावेजों की श्रेणियाँ	कार्यालय में इसके कामकाज से संबंधित फाइलें और दस्तावेज, संदर्भ और पत्राचार आदि मौजूद हैं। कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध हैं: शैक्षणिक प्रभाग द्वारा: a) बीएससी एच एंड एचए और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सभी सेमेस्टर्स के लिए संस्थान द्वारा आयोजित सभी मध्यावधि परीक्षाओं के परिणाम। b) द्वारा प्रस्तावित लघु अवधि पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्रीराष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर) c) छात्रों के प्लेसमेंट और औद्योगिक प्रशिक्षण रिकॉर्ड। d) छात्रों के औद्योगिक प्रशिक्षण और अनुसंधान परियोजनाएं। e) वार्षिक पत्रिका "गॉरमेट्स अफेयर" प्रशासनिक प्रभाग द्वारा:

		<p>a) वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखा विवरण।</p> <p>b) सभी कर्मचारियों का सेवा रिकार्ड।</p> <p>c) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक का विवरण और उनके द्वारा लिए गए निर्णय (अनुरोध पर उपलब्ध)।</p>
1.6.2	दस्तावेजों/श्रेणियों का संरक्षक	इन दस्तावेजों/श्रेणियों के संरक्षक संबंधित विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी हैं।
1.7	सार्वजनिक प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषद, समितियाँ और अन्य निकाय [धारा 4(1)(बी)(viii)]	
1.7.1	बोर्ड, परिषद, समिति आदि का नाम	यह यहां उपलब्ध है: https://niperraebareli.edu.in/bog.html
1.7.2	संघटन	https://niperraebareli.edu.in/committees.html
1.7.3	गठन की तिथियाँ	https://niperraebareli.edu.in/niperact.html
1.7.4	अवधि/कार्यकाल	
1.7.5	शक्तियाँ और कार्य	
1.7.6	क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं?	ये बैठकें केवल सदस्यों के लिए खुली हैं।
1.7.7	क्या बैठकों के विवरण जनता के लिए उपलब्ध हैं?	विवरण जनता के लिए उपलब्ध हैं।
1.7.8	वह स्थान जहां जनता के लिए मिनट उपलब्ध हैं?	कार्यवृत्त रजिस्ट्रार नाईपर रायबरेली के पास उपलब्ध हैं।
1.8	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1)(बी)(ix)]	
1.8.1	नाम और पदनाम	कर्मचारी विवरण यहां उपलब्ध है:
1.8.2	टेलीफोन, फैक्स और ईमेल आईडी	https://niperraebareli.edu.in/admin.html
1.9	अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है [धारा 4(1)(बी)(x)]	
1.9.1	सकल मासिक पारिश्रमिक वाले कर्मचारियों की सूची	सभी कर्मचारियों का सकल मासिक पारिश्रमिक https://niperraebareli.edu.in/rti.html
1.9.2	इसके विनियमों में प्रदत्त मुआवजे की प्रणाली	के कर्मचारीराष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर), के हकदार हैं एलटीसी, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा लाभ, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, गृह निर्माण ऋण, वाहन ऋण और पेंशन लाभ आदि।
1.10	लोक सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम और अन्य विवरण [धारा 4(1)(बी)(xvi)]	
1.10.1	लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ), सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) और	a. डॉ. सुनील कुमार यादव , वित्त एवं लेखा अधिकारी सी.पी.आई.ओ. एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली, न्यू ट्रांजिट कैंपस, बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर,

	अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पदनाम	सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, लखनऊ (यूपी)- 226002 फोन नंबर: +919560820416
1.10.2	प्रत्येक नामित अधिकारी का पता, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी।	ईमेल: fo@niperraebareli.edu.in b. डॉ. जय नारायण , रजिस्ट्रार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली, न्यू ट्रांजिट कैंपस, बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर, सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, लखनऊ (यूपी)- 226002 ईमेल: registrar@niperraebareli.edu.in
1.11	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है (धारा 4(2))	
1.11.1	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई (i) लघु दंड या वृहद दंड कार्यवाही के लिए लंबित है	आज की तिथि तक शून्य
1.11.2	(ii) छोटे जुर्माने या बड़े जुर्माने की कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया	
1.12	आर.टी.आई. की समझ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम (धारा 26)	
1.12.1	शैक्षिक कार्यक्रम	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर) में इन मामलों को संभालने के लिए RTI सेल के लिए एक अलग कमरा/कार्यालय है। संस्थान समय-समय पर कर्मचारियों और छात्रों के लिए RTI जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। CPIO ने 05.08.2024 को RTI पर एक सत्र आयोजित किया।
1.12.2	सार्वजनिक प्राधिकरणों को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयास	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर), आर.टी.आई. कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कर्मचारियों को परिपत्र/ईमेल जारी करता है। समय-समय पर केंद्रीय सूचना आयोग से प्राप्त परिपत्र और अधिसूचनाएँ भी कर्मचारियों को साझा की जाती हैं और उपलब्ध कराई जाती हैं।
1.12.3	सी.पी.आई.ओ./एपीआईओ का प्रशिक्षण	शून्य
1.12.4	संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आर.टी.आई. पर दिशा-निर्देशों को अद्यतन एवं प्रकाशित करना	राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर), नियमित अंतराल पर आर.टी.आई. पर दिशानिर्देश अपडेट और प्रकाशित किए जाते हैं और इसे वेबसाइट पर अंतिम बार 29.08.2024 को अपडेट किया गया था

1.13	स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]																															
1.13.1	स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]	चूंकि राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर), लखनऊ एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए किसी भी गैर-शिक्षण कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया गया है। 2023-24 के दौरान कोई आंतरिक स्थानांतरण नहीं किया गया।																														
2	बजट और कार्यक्रम																															
2.1	प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण आदि पर रिपोर्ट शामिल हैं। [धारा 4(1)(बी)(xi)]																															
2.1.1	सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए कुल बजट	<p style="text-align: center;">F. No. 50012/1/2024-NIPER (E- 26449) Government of India Ministry of Chemicals and Fertilizers Department of Pharmaceuticals NIPER Section *****</p> <p style="text-align: right;">Janpath Bhawan, New Delhi Dated: 9th April, 2024</p> <p>To The Director, NIPER-Raebareli</p> <p>Sub: Allocation of funds for Financial Year 2024-25 -reg.</p> <p>Sir,</p> <p>I am directed to refer to the above-mentioned subject and to say that the Secretary (Pharma) has approved the following budget allocation for FY 2024-25 for the NIPER-Raebareli.</p> <p style="text-align: right;">(Rs. In Crore)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">Allocation in BE 2023-24</th> </tr> <tr> <th></th> <th>Common</th> <th>SC</th> <th>ST</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GIA-Salary</td> <td>8.50</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>10.00</td> </tr> <tr> <td>GIA-General</td> <td>3.50</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>GIA-Capital</td> <td>18.50</td> <td>1.00</td> <td>0.50</td> <td>20.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>30.50</td> <td>3.00</td> <td>1.50</td> <td>35.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Further, it is requested to make your current CNA Account balance zero by 30th April, 2024 and take necessary action to open a TSA in RBI in order to receive the Grant-in-aid from the department during FY 2024-25.</p> <p>3. You are also requested to send the proposal for the release of funds in the 1st quarter with the Utilization Certificate (UC) for the GIA released during FY 2023-24 along with the expenditure statement.</p> <p style="text-align: right;">Yours Faithfully, (Geetha Ashok) Under Secretary (NIPER)</p>	Allocation in BE 2023-24						Common	SC	ST	Total	GIA-Salary	8.50	1.00	0.50	10.00	GIA-General	3.50	1.00	0.50	5.00	GIA-Capital	18.50	1.00	0.50	20.00	Total	30.50	3.00	1.50	35.00
Allocation in BE 2023-24																																
	Common	SC	ST	Total																												
GIA-Salary	8.50	1.00	0.50	10.00																												
GIA-General	3.50	1.00	0.50	5.00																												
GIA-Capital	18.50	1.00	0.50	20.00																												
Total	30.50	3.00	1.50	35.00																												
2.1.2	प्रत्येक एजेंसी और योजना एवं कार्यक्रम के लिए बजट	<p>विभागाध्यक्ष/अनुभाग प्रभारी द्वारा उनकी आवश्यकता के आधार पर बजट प्रस्तावित किया जाता है, जिसका मूल्यांकन संस्थान स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है और अंत में वित्त समिति तथा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अनुमोदित गतिविधियाँ की जाती हैं और गतिविधियों के लिए आवंटित बजट का उपयोग विभाग द्वारा किया जाता है।</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उपभोग्य वस्तुओं के लिए अंतिम बजट आवंटन</p> </div>																														

मास्टर्स (सत्र 2022-24 और 2023-25) और पीएचडी छात्र		
विभाग	संकाय का नाम	कुल अनुमानित आवंटन (रु.)
औषधीय रसायन शास्त्र	डॉ. आभा शर्मा	1275000
	डॉ. संदीप चौधरी	1450000
	डॉ. निहार रंजन	1225000
	डॉ गोपाल लाल खटीक	1225000
	डॉ. संदीप सी.	1200000
	कुल	6375000
औषध बनाने की विद्या	डॉ. संजय तिवारी	1450000
	डॉ. आवेश यादव	1475000
	डॉ. कीर्ति जैन	1550000
	डॉ राहुल शुक्ला	1225000
	कुल	5700000
औषध विज्ञान और विष विज्ञान	डॉ राकेश कुमार सिंह	1300000
	डॉ. अशोक दतुशालीया	1187500
	डॉ सबा नक़वी	900000
	डॉ. रविन्द्र कौंडल	975000
	डॉ सपना कुशवाह	1037500
	कुल	5400000
विनियामक विष विज्ञान	डॉ राकेश कुमार सिंह	275000
	डॉ. अशोक दतुशालीया	300000
	डॉ सबा नक़वी	300000
	डॉ. रविन्द्र कौंडल	225000
	डॉ सपना कुशवाह	375000
	कुल	1475000
जैव प्रौद्योगिकी	डॉ निधि श्रीवास्तव	1200000
	डॉ अभिषेक डे	525000

			डॉ. सौरभ अवस्थी	700000
			डॉ निरंजन मेहर	400000
			कुल	2825000
			कुल	21775000
2.1.3	प्रस्तावित व्यय	नाईपर रायबरेली की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध https://niperraebareli.edu.in/annualreports.html		
2.1.4	प्रत्येक एजेंसी के लिए संशोधित बजट, यदि कोई हो	नहीं		
2.1.5	किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट तथा वह स्थान जहां संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध हैं	किए गए संवितरण की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है https://niperraebareli.edu.in/annualreports.html		
2.2	विदेशी एवं घरेलू दौरे (एफ.सं. 1/8/2012-आईआर दिनांक 11.9.2012)			
2.2.1	बजट	विदेशी और घरेलू यात्राओं के लिए कोई अलग बजट नहीं है। इसे सामान्य बजट से पूरा किया जाता है, जैसा कि ऊपर 2.1.1 में बताया गया है।		
2.2.2	सरकार के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के मंत्रालयों और अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों द्वारा विदेश और घरेलू दौरे। (क) भ्रमण किये गये स्थान। (ख) दौरे की अवधि. (ग) सरकारी प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या। (घ) यात्रा पर व्यय.	https://niperraebareli.edu.in/annualreports.html		
2.2.3	खरीद से संबंधित सूचना - (क) नोटिस/निविदा पूछताछ, और यदि कोई हो तो शुद्धिपत्र। (ख) प्रदान की गई बोलियों का ब्यौरा जिसमें खरीदी जा रही वस्तुओं/सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम शामिल होंगे, (ग) संपन्न कार्य अनुबंध - उपरोक्त के किसी भी संयोजन	निविदाओं के बारे में विवरण यहां दिया गया है: https://niperraebareli.edu.in/tender.html		

	में - और, (घ) दर/दरें और कुल राशि जिस पर ऐसी खरीद या कार्य अनुबंध निष्पादित किया जाना है।	
2.3	सब्सिडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का तरीका [धारा 4(i)(बी)(xii)]	
2.3.1	गतिविधि कार्यक्रम का नाम	यह लागू नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर), सब्सिडी कार्यक्रम प्रदान नहीं करता है।
2.3.2	कार्यक्रम का उद्देश्य	
2.3.3	लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया	
2.3.4	कार्यक्रम/योजना की अवधि	
2.3.5	कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य	
2.3.6	सब्सिडी की प्रकृति/मान/आबंटित राशि	
2.3.7	सब्सिडी अनुदान के लिए पात्रता मानदंड	
2.3.8	सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफाइल आदि)	
2.4	विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान [फा. सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]	
2.4.1	राज्य सरकार को विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान/आबंटन/ गैर सरकारी संगठन/अन्य संस्थाएं	लागू नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर), राज्य सरकार/एनजीओ/अन्य संस्थानों को कोई विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान आवंटित नहीं करता है।
2.4.2	उन सभी कानूनी संस्थाओं के वार्षिक खाते जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है	
2.5	सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण [धारा 4(1)(बी)(xiii)]	
2.5.1	सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण	यह लागू नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर) रियायतें, परमिट या प्राधिकरण प्रदान नहीं करता है।

2.5.2	<p>प्रत्येक दी गई रियायत, परमिट या प्राधिकरण के लिए - (क) पात्रता मानदंड, (ख) रियायत/अनुदान और/या प्राधिकरण के परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया, (ग) रियायतें/प्राप्तकर्ताओं का नाम और पता परमिट या प्राधिकरण, (घ) रियायतें/प्राधिकरण के परमिट प्रदान करने की तिथि</p>	
2.6	सीएजी और पीएसी पैरा [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]	
2.6.1	<p>सीएजी और पीएसी के पैराग्राफ तथा इनके बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई हैं।</p>	<p>विस्तृत सीएजी रिपोर्ट इस लिंक पर क्लिक करके देखी जा सकती है: https://niperraebareli.edu.in/annualreports.html</p>
3.	प्रचार बैंड सार्वजनिक इंटरफ़ेस	
3.1	<p>नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था का विवरण [धारा 4(1)(बी)(vii)] [एफ संख्या 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]</p>	
3.1.1	<p>प्रासंगिक अधिनियम, नियम, प्रपत्र और अन्य दस्तावेज जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं</p>	<p>इसे नीचे दिए गए पृष्ठों पर जाकर देखा जा सकता है: https://niperraebareli.edu.in/niperact.html https://niperraebareli.edu.in/bog.html https://niperraebareli.edu.in/courses.html https://niperraebareli.edu.in/mou.html https://niperraebareli.edu.in/faculty.html https://niperraebareli.edu.in/annualreports.html</p>
3.1.2	<p>निम्नलिखित के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था - (क) नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में आम जनता की भागीदारी।</p>	<p>नाईपर रायबरेली के बोर्ड में फार्मास्युटिकल उद्योग से तीन व्यक्ति हैं जिन्हें नाईपर अधिनियम के नियम 4(3) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा नामित किया गया है। ये सदस्य राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को नीति और मार्गदर्शन में अपना योगदान देते हैं। आगंतुकों के लिए आवंटित दिन और समय: सुबह 09:00 बजे से शाम 05:30 बजे तक</p>

	<p>(ख) आगंतुकों के लिए आवंटित दिन एवं समय।</p> <p>(ग) आर.टी.आई. आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन उपलब्ध कराने के लिए सूचना एवं सुविधा काउंटर (आईएफसी) का संपर्क विवरण</p>	<p>आर.टी.आई. आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन उपलब्ध कराने के लिए सूचना एवं सुविधा काउंटर (आईएफसी) का संपर्क विवरण:</p> <p>डॉ. सुनील कुमार यादव, सी.पी.आई.ओ. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली, न्यू ट्रांजिट कैंपस, बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर, सी.आर.पी.एफ बेस कैंप के पास, लखनऊ (यूपी)- 226002 फोन नंबर: +919560820416 ईमेल: fo[at]niperraebareli[dot]edu[dot]in</p> <p>डॉ. जय नारायण, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली, न्यू ट्रांजिट कैंपस, बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर, सी.आर.पी.एफ बेस कैंप के पास, लखनऊ (यूपी)- 226002 ईमेल: registrar[at]niperraebareli[dot]edu[dot]in</p>
3.1.3	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) - विशेष प्रयोजन वाहन का विवरण (एसपीवी), यदि कोई हो	लागू नहीं
3.1.4	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.)- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)	
3.1.5	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.)- रियायत समझौते	
3.1.6	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.)- संचालन और रखरखाव मैनुअल	
3.1.7	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.)- पी.पी.पी. के कार्यान्वयन के भाग के रूप में तैयार किए गए अन्य दस्तावेज	
3.1.8	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.)- शुल्क, टोल या कर से संबंधित जानकारी अन्य प्रकार के राजस्व जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र किए जा सकते हैं	
3.1.9	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.)- आउटपुट और परिणामों से संबंधित जानकारी	

3.1.10	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) - सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए निजी क्षेत्र के पक्ष (रियायती आदि) के चयन की प्रक्रिया।	
3.1.11	सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) - पी.पी.पी. परियोजना के अंतर्गत किया गया समस्त भुगतान	
3.2	क्या जनता को प्रभावित करने वाली नीतियों/निर्णयों का ब्यौरा उन्हें सूचित किया जाता है [धारा 4(1)(सी)]	
3.2.1	महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें ताकि प्रक्रिया को अधिक संवादात्मक बनाया जा सके - पिछले एक वर्ष में लिए गए नीतिगत निर्णय/कानून	विस्तृत विवरण ऊपर 3.1.1 के अंतर्गत दिया गया है
3.2.2	महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें ताकि प्रक्रिया को अधिक संवादात्मक बनाया जा सके - सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करें	
3.2.3	महत्वपूर्ण नीतियों को बनाते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें ताकि प्रक्रिया को अधिक संवादात्मक	

	बनाया जा सके - नीति निर्माण से पहले परामर्श की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करें।	
3.3	सूचना का व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से प्रसार करना जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो [धारा 4(3)]	
3.3.1	संचार के सबसे प्रभावी साधन का उपयोग - इंटरनेट (वेबसाइट)	नाईपर-रायबरेली (नाईपर-आर) की वेबसाइट: https://www.niperraebareli.edu.in
3.4	सूचना मैनुअल/हैंडबुक की पहुंच का प्रारूप [धारा 4(1)(बी)]	
3.4.1	सूचना पुस्तिका/हैंडबुक इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में उपलब्ध है	हां, यह वेबसाइट पर उपलब्ध है राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर)
3.4.2	सूचना पुस्तिका/हैंडबुक मुद्रित प्रारूप में उपलब्ध है	हां, सूचना मैनुअल/हैंडबुक का मुद्रित प्रारूप एफएए/सी.पी.आई.ओ. के कार्यालय में उपलब्ध है।
3.5	सूचना पुस्तिका/हैंडबुक निःशुल्क उपलब्ध है या नहीं [धारा 4(1)(बी)]	
3.5.1	निःशुल्क उपलब्ध सामग्री की सूची	विस्तृत जानकारी ऊपर 3.1.1 के अंतर्गत दी गई है। ये दस्तावेज वेबसाइट से निःशुल्क उपलब्ध हैं।
3.5.2	माध्यम की उचित लागत पर उपलब्ध सामग्रियों की सूची	उपरोक्त सूचीबद्ध सामग्री की प्रमाणित प्रतिलिपि नागरिक आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अनुसार उचित शुल्क का भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं।
4	ई-शासन	
4.1	सूचना मैनुअल/हैंडबुक जिस भाषा में उपलब्ध है [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]	
4.1.1	अंग्रेज़ी	हां, इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
4.1.2	स्थानीय भाषा/स्थानीय भाषा	हां, इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
4.2	सूचना मैनुअल/हैंडबुक को अंतिम बार कब अपडेट किया गया था? [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]	
4.2.1	वार्षिक अद्यतन की अंतिम तिथि	29.08.2024
4.3	इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी [धारा 4(1)(बी)(xiv)]	
4.3.1	इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी का विवरण	जानकारी का विवरण ऊपर 3.1.1 के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। जानकारी संगठन की वेबसाइट पर देखी जा सकती है: https://www.niperraebareli.edu.in ;
4.3.2	दस्तावेज़/रिकॉर्ड का नाम/शीर्षक/अन्य जानकारी	
4.3.3	स्थान जहां उपलब्ध हो	
4.4	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4(1)(बी)(xv)]	

4.4.1	सुविधा का नाम और स्थान	<p>राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर) में RTI सेल है। नाईपर-आरद्वारा की जाने वाली गतिविधियों से संबंधित जानकारी उन उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाती है जो जानकारी मांगते हैं। कार्यालय का पता: राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर), ट्रांजिट कैम्पस, बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर, सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, लखनऊ (यूपी)- 226002.</p> <p>यह जानकारी संस्थान की वेबसाइट पर भी अपलोड की गई है।</p> <p>https://www.niperraebareli.edu.in सामान्य संदर्भ हेतु.</p>
4.4.2	उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण	<p>जैसा कि ऊपर 3.5.1 में सूचीबद्ध है; इच्छुक लोग वांछित जानकारी के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं। यदि आवश्यक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है तो वे ईमेल आईडी पर सी.पी.आई.ओ. को ईमेल भेज सकते हैं fo@niperraebareli.edu.in आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अनुसार आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। यदि आवश्यक जानकारी उपलब्ध है, तो उसे अधिनियम के अनुसार निर्धारित समय के भीतर प्रदान किया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के तहत कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वह अधिमानतः लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन प्रारूप में लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध कर सकता है।</p>
4.4.2	सुविधा के कार्य घंटे	सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक
4.4.3	संपर्क व्यक्ति एवं संपर्क विवरण (फोन, फैंक्स ईमेल)	<p>डॉ. सुनील कुमार यादव, सी.पी.आई.ओ.</p> <p>राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली, न्यू ट्रांजिट कैम्पस, बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर, सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, लखनऊ (यूपी)- 226002</p> <p>फोन नंबर: +919560820416</p> <p>ईमेल: fo@niperraebareli.edu.in</p>
4.5	ऐसी अन्य जानकारी जो धारा 4(i)(b)(xvii) के अंतर्गत निर्धारित की जा सकती है	
4.5.1	शिकायत निवारण तंत्र	<p>शिकायतों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निवारण किया जाता है। सभी पीड़ित छात्र, कर्मचारी और अन्य लोग पहले संस्थान की आंतरिक समिति से संपर्क कर सकते हैं, और यदि वे समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे अपनी अपील संबंधित प्राधिकारी को भेज सकते हैं और वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उन शिकायतों की सुनवाई करेगा और अपील प्राप्त होने के एक महीने के भीतर उनका निपटारा सुनिश्चित करेगा। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की आंतरिक शिकायत समिति और छात्र शिकायत निवारण समिति का विवरण 1.3.1 (ऊपर) में दिया गया है।</p>
4.5.2	आर.टी.आई. के तहत प्राप्त आवेदनों और उपलब्ध कराई गई जानकारी का विवरण	<p style="text-align: center;">वर्ष 2023-24 के लिए आर.टी.आई. अनुरोध की स्थिति</p> <hr/>

क्रम सं.	वर्ष 2023-24 में प्राप्त आर.टी.आई. अनुरोधों की कुल संख्या	वर्ष 2023-24 में निपटाए गए आर.टी.आई. अनुरोधों की कुल संख्या	वर्ष 2023-24 में आर.टी.आई. अनुरोधित शेष राशि की कुल संख्या
1	42	42	0

क्र. सं.	पीआई का नाम	परियोजना का शीर्षक	पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं की सूची	
			वित्तपोषण एजेंसी	परियोजना लागत
1	डॉ. निहार रंजन	अमीनोग्लाइकोसाइड (टोब्रामाइसिन) आधारित संकर छोटे अणु जीवाणु आरएनआरए ए-साइट को लक्षित कर नए तपेदिक रोधी एजेंट विकसित कर रहे हैं	विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड	41,44,910
2	डॉ. आवेश कुमार यादव	स्व-अपघटनीय डीएनए नैनोकल्यू आधारित साइट विशिष्ट कैसर रोधी दवा	विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड	47,81,310
3	डॉ राहुल शुक्ला	सेरेब्रल कार्सिनोमा को लक्षित करने के लिए दोहरे नैनोइंजीनियरिंग वाले बीबीबी-भेदक लिपिड नैनोकण	विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड	11,88,603
4	डॉ. मुनीन्द्र रुवाली	तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (ALL) के उपचार में कीमोरेसिस्टेंस को कम करने के लिए एक आशाजनक लक्ष्य के रूप में Nrf2 एंटी-ऑक्सीडेंट प्रतिक्रिया तत्व (ARE) मार्ग का मूल्यांकन	विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड	10,50,000
5	डॉ अशोक कुमार दातुसालिया	कृषि रसायनों की तीव्र विषाक्तता का आकलन (नैनोबायोडैप)	एएएल बायोसाइंसेज रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	3,51,000
6	डॉ अशोक कुमार दातुसालिया	आहार-प्रेरित मोटापे और वृद्धावस्था में तनाव प्रतिक्रिया और	आईएसएन इंटरनेशनल	4700 अमरीकी डॉलर

		न्यूरोइंफ्लेमेटरी मार्करों का विनियमन	स्कूल ऑफ न्यूरोकेमिस्ट्री	
7	डॉ. संजय तिवारी	लक्षित माइक्रेलर प्रणालियों का उपयोग करके ट्यूमर चयनात्मक दवा वितरण	यूजीसी-डीएई-सीएसआर	4,74,136
8	डॉ. रेवती रमन उज्ज्वल	कैंसर रोधी लक्षित चिकित्सा के लिए जैवनिम्नीकरणीय और जैवसंगत बहुलक नैनोकंपोजिट का निर्माण	विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड	10,60,206
9	डॉ. राकेश कुमार सिंह	इथेनॉल प्रेरित बायोमार्करों के अवरोध का इन-विट्रो अध्ययन	लेयूटिस फार्मा एलएलपी	5,05,000
10	डॉ. सबा नकवी	महिला वैज्ञानिक योजना	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	2,53,532
11	प्रोफेसर शुभिनी ए सराफ	हार्मोनल रिसेप्टर पॉजिटिव स्तन कैंसर कोशिकाओं में डॉक्सोरोबिसिन हाइड्रोक्लोराइड के लक्षित वितरण में कार्बोहाइड्रेट-लेक्टिन इंटरैक्शन की खोज	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	5,15,600
12	डॉ. संदीप चौधरी	ल्यूपस रोगियों के परिधीय रक्त मोनोन्यूक्लियर कोशिकाओं में नए टोल-जैसे रिसेप्टर-सिग्नलिंग अवरोधकों की इम्यूनोमॉडुलेटरी गतिविधियों की खोज: ल्यूपस के लिए दवा लक्ष्य के रूप में टीकेआर की पहचान करने का एक अध्ययन	विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	62,78,980
१३	डॉ. संजय तिवारी	यूजीसी डीएई	यूनिवर्सिटी गार्नट्स कमीशन	45,000

4.5.4

चल रही
योजनाओं/परियोजनाओं/कार्य
क्रमों की सूची

चल रही परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	पीआई का नाम	परियोजना का शीर्षक	वित्तपोषण एजेंसी	परियोजना लागत
1	डॉ. आभा शर्मा	संभावित अल्जाइमर रोधी एजेंट के रूप में फ्लेवोनोइड-हाइड्रॉक्सीपाइरीडिनोन संकर का नया संश्लेषण	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, लखनऊ	9,30,000
2	डॉ अशोक कुमार दातुसालिया	अभिघातजन्य तनाव विकार के लिए लचीलेपन और भेद्यता हेतु तनाव प्रतिक्रिया परिपथ में न्यूरोव्यवहारिक और आणविक न्यूरोप्लास्टिसिटी अंतर	विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	29,94,020
3	डॉ अशोक कुमार दातुसालिया	अभिघातजन्य तनाव विकार के उपचार के लिए संशोधित क्युरेनिक सहायता-आधारित मचानों का विकास	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश	6,00,000
4	डॉ गोपाल लाल खटीक	अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए सेनोलिटिक एजेंटों का डिजाइन	विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	39,43,764
5	डॉ रविन्द्र कुमार कौंडल	सेरेब्रल इस्केमिया के प्रायोगिक मॉडल में SERCA एक्टिवेटर्स की न्यूरोप्रोटेक्टिव क्षमता का मूल्यांकन	विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	40,40,625
१३	डॉ. कीर्ति जैन	कैंसर के उपचार के लिए विभिन्न औषधि-युक्त सतह इंजीनियर्ड डेंड्रिमर संयुग्मों का व्यापक जैविक मूल्यांकन	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	25,01,075
14	डॉ अभिषेक डे	हेपेटाइटिस सी वायरस रोगजनन पर आरएनए संरचना और एपिजेनेटिक संशोधनों के प्रभाव को उजागर करना	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	1,23,60,000
15	डॉ. सौरभ अवस्थी	पार्किंसंस रोग के निदान और चिकित्सीय निगरानी के लिए अल्फा सिन्यूक्लिन ओलिगोमर्स का अतिसंवेदनशील पता लगाना और एकल अणु स्तर पर जैवभौतिकीय लक्षण वर्णन	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	1,23,60,000
16	डॉ राहुल शुक्ला	एलआरपी इंजीनियर नैनोलिपिडिक वाहक विल्सन रोग में मस्तिष्क लक्ष्यीकरण के लिए संभावित चिकित्सा के रूप में	विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	23,63,080
17	डॉ. संदीप चौधरी	रुमेटाइड अर्थराइटिस मोनोन्यूक्लियर कोशिकाओं और सिनोवियल फाइब्रोब्लास्ट पर नए	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान	12,60,000

			टोल लाइक रिसेप्टर सिग्नलिंग अवरोधकों के विरोधी भड़काऊ प्रभावों की खोज: रूमेटाइड अर्थराइटिस में सूजन को नियंत्रित करने के लिए भविष्य की संभावित रणनीति के रूप में टीएलएस सिग्नलिंग अवरोध की पहचान करने के लिए एक इन विट्रो अध्ययन	परिषद, नई दिल्ली	
18	डॉ. आभा शर्मा	अल्जाइमर रोधी एजेंट के रूप में नवीन दोहरे GSK3B/HDAC अवरोधक का संश्लेषण और मूल्यांकन	विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली		37,91,040
19	डॉ निरंजन मेहर	प्रोस्टेट कैंसर के संयुक्त फोटोडायनामिक और फोटोथर्मल थेरेपी के लिए पीएसएमए-लक्षित एजेंट	डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप		1,10,00,000
14	डॉ रविन्द्र कुमार कौंडल	इस्केमिक स्ट्रोक के लिए संभावित न्यूरोप्रोटेक्टिव चिकित्सा के रूप में नवीन बहु-लक्ष्य यूरोलिथिन एनालॉग्स का विकास और मूल्यांकन	भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली		60,86,084
15	डॉ. संजय तिवारी	फार्माकोकाइनेटिक्स और बायोडिस्ट्रीब्यूशन अध्ययन	लेयूटिस फार्मा एलएलपी		4,60,000
16	डॉ राकेश कुमार सिंह	डिब्रोमो इंडोलिज़िन एनालॉग्स का डिज़ाइन, संश्लेषण, लक्षण वर्णन और इन विट्रो में लिपोपॉलीसेकेराइड (LPS)-प्रेरित मॉडल में उनकी विरोधी भड़काऊ गतिविधि का मूल्यांकन	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश		9,00,000
17	डॉ सबा नकवी	एलपीएस प्रेरित न्यूरोइन्फ्लेमेशन के विरुद्ध मॉड्यूलर के रूप में बहुक्रियाशील डेंड्रिमर्स की जांच करना	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश		14,86,000
18	डॉ. निधि श्रीवास्तव	अनुसंधान एसोसिएटशिप कार्यक्रम	क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र		7,63,540
19	डॉ. अंकिता शर्मा	BPA-प्रेरित नेफ्रोटाक्सिसिटी में फेरोप्टोसिस और माइटोकॉन्ड्रियल शिथिलता को दबाने के लिए Nrf2-ARE तनाव प्रतिक्रिया तंत्र को लक्षित करना	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश		11,00,000
20	डॉ. संदीप चंद्रशेखर प्पा	तीव्र फेफड़े की चोट के सेल-आधारित और पशु मॉडल में नाइट्रोजन टेथर्ड व्युत्पन्न का संश्लेषण और मूल्यांकन	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश		15,36,000
21	डॉ. निधि श्रीवास्तव	फसल की कटाई के बाद पैदावार के प्रबंधन के लिए कैप्सिकम एनम एल. (बेल पेपर) के अप्रयुक्त डंठल से नैनो-स्प्रे का डिजाइन और विकास प्रदेश	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश		12,50,000

4.5.5	ठेकेदार का नाम, अनुबंध की राशि और अनुबंध पूरा होने की अवधि सहित किए गए सभी अनुबंधों का विवरण	<p>राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर), सरकार अधिकांश सेवाओं और वस्तुओं की खरीद सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) और केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सी.पी.पी.पी.) से कर रही है, जो सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक रूप से सुलभ है।</p> <p>निविदाएं: https://niperraebareli.edu.in/tender.html</p> <p>सुरक्षा सेवाएँ प्रदान की गईं: मेसर्स एपी सिक्न्यूटिस प्राइवेट लिमिटेड हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान की गईं: मेसर्स शाइन एंड सिंध सिक्नोरिटी (पी) लिमिटेड</p>																		
4.5.6	वार्षिक रिपोर्ट	<p>यह यहां उपलब्ध है: https://niperraebareli.edu.in/annualreports.html</p>																		
4.5.7	अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)	अनुलग्नक-I																		
4.5.8	कोई अन्य जानकारी जैसे - (क) नागरिक चार्टर, (ख) परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज़ (आरएफडी), (सी) पर छह मासिक रिपोर्ट, (डी) नागरिक चार्टर में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप कार्य निष्पादन	नागरिक चार्टर सेवा वितरण के मानक, गुणवत्ता और समय सीमा, शिकायत निवारण तंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस प्रकार एक सार्थक नागरिक चार्टर के मुख्य घटक विजन और मिशन वक्तव्य, कार्यक्रम और गतिविधियाँ, ग्राहक समूह/हितधारक, संस्थान द्वारा प्रदान की जा रही प्रत्येक सेवा के लिए समय सीमा का विनिर्देशन का स्पष्ट विवरण हैं।																		
4.6	आर.टी.आई. आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान [एफ.सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]																			
4.6.1	प्राप्त एवं निपटाए गए आवेदनों का विवरण	वर्ष 2023-24 के लिए आर.टी.आई. अनुरोध की स्थिति																		
4.6.2	प्राप्त अपीलों और जारी आदेशों का विवरण	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">क्रम सं.</th> <th style="width: 25%;">वर्ष 2023-24 में प्राप्त आर.टी.आई. अनुरोधों की कुल संख्या</th> <th style="width: 25%;">वर्ष 2023-24 में निपटाए गए आर.टी.आई. अनुरोधों की कुल संख्या</th> <th style="width: 20%;">वर्ष 2023-24 में आर.टी.आई. अनुरोधित शेष राशि की कुल संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">42</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">वर्ष 2023-24 के लिए आर.टी.आई. अपील की स्थिति</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">क्रम सं.</th> <th style="width: 25%;">वर्ष 2023-24 में प्राप्त आर.टी.आई. अपीलों की कुल संख्या</th> <th style="width: 25%;">वर्ष 2023-24 में निपटाए गए आर.टी.आई. अपीलों की कुल संख्या</th> <th style="width: 20%;">वर्ष 2023-24 में शेष आर.टी.आई. अपीलों की कुल संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>			क्रम सं.	वर्ष 2023-24 में प्राप्त आर.टी.आई. अनुरोधों की कुल संख्या	वर्ष 2023-24 में निपटाए गए आर.टी.आई. अनुरोधों की कुल संख्या	वर्ष 2023-24 में आर.टी.आई. अनुरोधित शेष राशि की कुल संख्या	1	42	42	0	क्रम सं.	वर्ष 2023-24 में प्राप्त आर.टी.आई. अपीलों की कुल संख्या	वर्ष 2023-24 में निपटाए गए आर.टी.आई. अपीलों की कुल संख्या	वर्ष 2023-24 में शेष आर.टी.आई. अपीलों की कुल संख्या	1	26	26	0
क्रम सं.	वर्ष 2023-24 में प्राप्त आर.टी.आई. अनुरोधों की कुल संख्या	वर्ष 2023-24 में निपटाए गए आर.टी.आई. अनुरोधों की कुल संख्या	वर्ष 2023-24 में आर.टी.आई. अनुरोधित शेष राशि की कुल संख्या																	
1	42	42	0																	
क्रम सं.	वर्ष 2023-24 में प्राप्त आर.टी.आई. अपीलों की कुल संख्या	वर्ष 2023-24 में निपटाए गए आर.टी.आई. अपीलों की कुल संख्या	वर्ष 2023-24 में शेष आर.टी.आई. अपीलों की कुल संख्या																	
1	26	26	0																	
4.7	संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर [धारा 4(1)(डी)(2)]																			

4.7.1	संसद में पूछे गए प्रश्नों और दिए गए उत्तरों का विवरण	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="4">संसद प्रश्नों की स्थिति (तारांकित/अतारांकित)</th> </tr> <tr> <th>वर्ष</th> <th>कुल पूछे गए प्रश्न (तारांकित / अतारांकित)</th> <th>कुल PQ ने उत्तर दिया (तारांकित / अतारांकित)</th> <th>शेष राशि पीक्यू (तारांकित / अतारांकित)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023-24</td> <td>08</td> <td>08</td> <td>00</td> </tr> <tr> <td>2024-25</td> <td>01</td> <td>01</td> <td>00</td> </tr> </tbody> </table>				संसद प्रश्नों की स्थिति (तारांकित/अतारांकित)				वर्ष	कुल पूछे गए प्रश्न (तारांकित / अतारांकित)	कुल PQ ने उत्तर दिया (तारांकित / अतारांकित)	शेष राशि पीक्यू (तारांकित / अतारांकित)	2023-24	08	08	00	2024-25	01	01	00
संसद प्रश्नों की स्थिति (तारांकित/अतारांकित)																					
वर्ष	कुल पूछे गए प्रश्न (तारांकित / अतारांकित)	कुल PQ ने उत्तर दिया (तारांकित / अतारांकित)	शेष राशि पीक्यू (तारांकित / अतारांकित)																		
2023-24	08	08	00																		
2024-25	01	01	00																		
5	निर्धारित जानकारी																				
5.1	ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है [एफ. सं. 1/2/2016-आईआर दिनांक 17.8.2016, एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]																				
5.1.1	नाम और ब्यौरा - (क) वर्तमान सी.पी.आई.ओ. और एफएए, (ख) 1.1.2015 से पूर्व के सी.पी.आई.ओ. और एफएए	<p>डॉ. सुनील कुमार यादव, वित्त एवं लेखा अधिकारी, सी.पी.आई.ओ. एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली, न्यू ट्रांजिट कैंपस, बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर, सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, लखनऊ (यूपी)- 226002 फोन नंबर: +919560820416 ईमेल: fo@niperraebareli.edu.in</p> <p>डॉ. जय नारायण, रजिस्ट्रार, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली, न्यू ट्रांजिट कैंपस, बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर, सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, लखनऊ (यूपी)- 226002 ईमेल: registrar@niperraebareli.edu.in</p>																			
5.1.2	स्वैच्छक प्रकटीकरण के तीसरे पक्ष के ऑडिट का विवरण - (क) किए गए ऑडिट की तारीखें, (ख) किए गए ऑडिट की रिपोर्ट	<p>राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर) का वर्ष 2023-24 के लिए तृतीय पक्ष ऑडिट एन.आई.टी.टी.टी.आर, चंडीगढ़ द्वारा किया जा रहा है। इस अवधि से पहले कोई तृतीय पक्ष लेखा परीक्षा नहीं कराई गई थी।</p>																			
5.1.3	संयुक्त सचिव/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के पद से नीचे के नोडल अधिकारियों की नियुक्ति - (क) नियुक्ति की तिथि, (ख) अधिकारियों का नाम और पदनाम	<p>डॉ. सुनील कुमार यादव, वित्त एवं लेखा अधिकारी, सी.पी.आई.ओ. एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली, न्यू ट्रांजिट कैंपस, बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर, सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, लखनऊ (यूपी)- 226002 फोन नंबर: +919560820416 ईमेल: fo@niperraebareli.edu.in</p>																			
5.1.4	स्वप्रेरणा प्रकटीकरण पर सलाह के लिए प्रमुख हितधारकों की	<p>गठन की तिथियाँ: 29.08.2024 अधिकारियों का नाम और पदनाम</p>																			

	परामर्श समिति - (क) गठन की तिथि, (ख) अधिकारियों के नाम और पदनाम	<ol style="list-style-type: none"> 1. डॉ. जय नारायण, रजिस्ट्रार 2. डॉ. सुनील कुमार यादव, वित्त एवं लेखा अधिकारी 3. डॉ. गोपाल लाल खटीक, सहायक प्रोफेसर 4. श्री आशीष जग्गल, प्रशासनिक अधिकारी
5.1.5	आर.टी.आई. के तहत अक्सर मांगी जाने वाली जानकारी की पहचान करने के लिए आर.टी.आई. में समृद्ध अनुभव वाले पीआईओ/एफए की समिति - (ए) गठन की तारीख, (बी) अधिकारियों के नाम और पदनाम	<p>फरवरी, 2020 से</p> <p>डॉ. सुनील कुमार यादव, वित्त एवं लेखा अधिकारी, सी.पी.आई.ओ. एवं नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली, न्यू ट्रांजिट कैंपस, बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर, सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, लखनऊ (यूपी)- 226002 फोन नंबर: +919560820416</p> <p>ईमेल: fo@niperraebareli.edu.in</p> <p>डॉ. जय नारायण, रजिस्ट्रार प्रथम अपीलीय प्राधिकारी राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली, न्यू ट्रांजिट कैंपस, बिजनौर रोड, सरोजिनी नगर, सीआरपीएफ बेस कैंप के पास, लखनऊ (यूपी)- 226002 ईमेल: registrar@niperraebareli.edu.in</p>
6	स्वयं की पहल पर जानकारी का खुलासा	
6.1	वस्तु/सूचना का खुलासा किया जाना चाहिए ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आर.टी.आई. अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े।	
6.1.1	वस्तु/सूचना का खुलासा किया जाना चाहिए ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आर.टी.आई. अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े।	मद / सूचना, राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, रायबरेली (नाईपर-आर) की वेबसाइट पर प्रकट की गई है https://www.niperraebareli.edu.in , जिसे नियमित अंतराल पर अद्यतन किया जाता है।
6.2	भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशा-निर्देश (जीआईडीडब्ल्यू) का पालन किया जाता है (फरवरी, 2009 में जारी किया गया और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (सीएसएमओपी) में शामिल किया गया)	
6.2.1	क्या एसटीक्यूसी प्रमाणीकरण प्राप्त किया गया है और इसकी वैधता क्या है	अभी तक प्राप्त नहीं हुआ
6.2.2	क्या वेबसाइट पर प्रमाणपत्र दिखाया गया है?	ऊपर की तरह

राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, रायबरेली

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.स.)

आर.टी.आई. से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न 1. सूचना क्या है?

सूचना किसी भी रूप में कोई भी सामग्री है जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए डेटा सामग्री शामिल हैं। इसमें किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी भी शामिल है जिसे किसी भी कानून के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा पहुंचा जा सकता है।

प्रश्न 2. सार्वजनिक प्राधिकरण क्या है?

"सार्वजनिक प्राधिकरण" संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित कोई भी प्राधिकरण या निकाय या स्वशासन की संस्था है; या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा; या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व वाली, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित संस्थाएँ और केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन भी सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा में आते हैं। सरकार द्वारा निकाय या एनजीओ का वित्तपोषण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है।

प्रश्न 3. लोक सूचना अधिकारी क्या है?

सार्वजनिक प्राधिकरणों ने अपने कुछ अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया है। वे आर.टी.आई. अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले व्यक्ति को सूचना देने के लिए जिम्मेदार हैं।

प्रश्न 4. केन्द्र सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना मांगने के लिए शुल्क क्या है?

जो व्यक्ति केंद्र सरकार के किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, उसे आवेदन के साथ 10/- (दस रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल ऑर्डर भेजना होगा, जो सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क के रूप में सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को देय होगा। शुल्क का भुगतान सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को उचित रसीद के साथ नकद के रूप में भी किया जा सकता है। हालाँकि, आर.टी.आई. शुल्क और भुगतान का तरीका अलग-अलग हो सकता है क्योंकि आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 की धारा 27 और धारा 28 के तहत उपयुक्त सरकार और सक्षम प्राधिकारी क्रमशः आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाते हैं।

प्रश्न 5. बी.पी.एल. आवेदक को सूचना मांगने के लिए कितना शुल्क देना होगा?

यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) श्रेणी से संबंधित है, तो उसे कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि, उसे गरीबी रेखा से नीचे होने के अपने दावे के समर्थन में एक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न 6. क्या आवेदन का कोई विशिष्ट प्रारूप है?

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। हालांकि, आवेदन में आवेदक का नाम और पूरा डाक पता होना चाहिए।

प्रश्न 7. क्या सूचना मांगने के लिए कोई कारण बताना आवश्यक है?

सूचना मांगने वाले को सूचना मांगने का कारण बताना आवश्यक नहीं है।

प्रश्न 8. क्या सूचना के प्रकटीकरण से छूट का कोई प्रावधान है?

अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) और धारा 9 में उन सूचनाओं के प्रकारों को सूचीबद्ध किया गया है जिन्हें प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है। हालांकि, धारा 8 की उपधारा (2) में प्रावधान है कि उपधारा 3 (1) के तहत छूट प्राप्त या आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत छूट प्राप्त सूचना का खुलासा किया जा सकता है, यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित हित को होने वाले नुकसान से अधिक है।

प्रश्न 9. क्या आर.टी.आई. आवेदन दाखिल करने के लिए आवेदक को कोई सहायता उपलब्ध है?

यदि कोई व्यक्ति लिखित रूप में अनुरोध करने में असमर्थ है, तो वह अपना आवेदन लिखने के लिए लोक सूचना अधिकारी की सहायता ले सकता है और लोक सूचना अधिकारी को उसे उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। जहाँ किसी संवेदी रूप से विकलांग व्यक्ति को किसी दस्तावेज़ तक पहुँच प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है, वहाँ लोक सूचना अधिकारी उस व्यक्ति को निरीक्षण के लिए उचित सहायता प्रदान करेगा।

प्रश्न 10. सूचना प्रदान करने की समयावधि क्या है?

सामान्य तौर पर, आवेदक को सूचना सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी। यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो उसे 48 घंटों के भीतर प्रदान किया जाएगा। यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से भेजा जाता है या इसे किसी गलत सार्वजनिक प्राधिकरण को भेजा जाता है, तो तीस दिन या 48 घंटे की अवधि में पांच दिन जोड़े जाएंगे, जैसा भी मामला हो।

प्रश्न 11. क्या आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत अपील का कोई प्रावधान है?

यदि आवेदक को तीस दिन या 48 घंटे के निर्धारित समय के भीतर सूचना नहीं दी जाती है, जैसा भी मामला हो, या वह उसे दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है जो लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ रैंक का अधिकारी होता है। ऐसी अपील, सूचना आपूर्ति की 30 दिनों की सीमा समाप्त होने की तिथि से या लोक सूचना अधिकारी की सूचना या निर्णय प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर दायर की जानी चाहिए। लोक प्राधिकरण का अपीलीय प्राधिकारी अपील की प्राप्ति के तीस दिनों की अवधि के भीतर या असाधारण मामलों में 45 दिनों के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

प्रश्न 12. क्या आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपील की कोई गुंजाइश है?

यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर अपील पर आदेश पारित करने में विफल रहता है या यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिए जाने की तिथि या अपीलकर्ता द्वारा वास्तव में प्राप्त किए जाने की तिथि से 90 दिनों के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है।

प्रश्न 13. क्या इस अधिनियम के तहत शिकायत की जा सकती है? यदि हाँ, तो किन शर्तों के तहत?

यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सूचना अधिकारी को अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो या तो इस कारण से कि संबंधित लोक प्राधिकारी द्वारा ऐसा अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है; या लोक सूचना अधिकारी ने उसके आवेदन या अपील को अपीलीय प्राधिकारी को अग्रेषित करने से इनकार कर दिया है, जैसा भी मामला हो; या उसे आर.टी.आई. अधिनियम के तहत उसके द्वारा मांगी गई किसी भी सूचना तक पहुंच से इनकार कर दिया गया है; या उसे अधिनियम में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना के लिए अनुरोध का जवाब नहीं दिया गया है; या उसे शुल्क की एक राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है जिसे वह अनुचित मानता है; या वह मानता है कि उसे अपूर्ण, भ्रामक या गलत जानकारी दी गई है, तो वह सूचना आयोग को शिकायत कर सकता है।

प्रश्न 14. तृतीय पक्ष सूचना क्या है?

अधिनियम के संबंध में तीसरे पक्ष का अर्थ है सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति। तीसरे पक्ष की परिभाषा में वह सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल है, जिससे अनुरोध किया गया है।

प्रश्न 15. सूचना प्राप्त करने की विधि क्या है?

जो नागरिक अधिनियम के तहत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, उसे संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी को अंग्रेजी या हिंदी में या जिस क्षेत्र में आवेदन किया जा रहा है, उसकी आधिकारिक भाषा में लिखित रूप में आवेदन करना चाहिए। आवेदन सटीक और विशिष्ट होना चाहिए। उसे आवेदन जमा करते समय शुल्क नियमों में निर्धारित शुल्क का भुगतान करना चाहिए।

प्रश्न 16. क्या कोई संगठन/संगठन आर.टी.आई. अधिनियम के तहत सूचना देने से छूट प्राप्त है?

हां, द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ खुफिया और सुरक्षा संगठनों को भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को छोड़कर सूचना प्रदान करने से छूट दी गई है। सौजन्य - कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर मार्गदर्शिका।